



2026:AHC:177923

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 14438/2026

अखंड प्रताप उपाध्याय

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विशाल पांडेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अभय मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, सचिन श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. दिनांक 09.04.2026 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि मामला वैवाहिक विवाद से संबंधित है तथा पति होने के नाते आवेदक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है, इस न्यायालय ने मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को निर्दिष्ट किया। उक्त आदेश निम्नानुसार है:

“श्री विशाल पांडेय, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा उपस्थित हैं।

वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा आपराधिक वाद संख्या 6305/2021, मुकदमा अपराध संख्या 31/2020 से उद्भूत, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 67 के अंतर्गत (थाना-सिंदौरा, जिला-वाराणसी), की संपूर्ण कार्यवाहियों को, तथा दिनांक 24.2.2021 के संज्ञान/समन आदेश को, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है, खारिज करने हेतु दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रकरण वैवाहिक विवाद से संबंधित है तथा आवेदक (पति) विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा विपक्षी संख्या 2 को अपने साथ रखने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है। अपनी सद्भावना दर्शाने हेतु आवेदक पत्नी की प्रथम उपस्थिति पर उसे सौंपे जाने हेतु रु. 30,000/- जमा करने के लिए तत्पर है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को निर्दिष्ट किया जाए ताकि दंपति को मध्यस्थता के माध्यम से अपनी शर्तों पर अपना विवाद सुलझाने का अवसर मिल सके।

न्यायालय भी अभिलेख तथा उसके समक्ष दिए गए प्रस्तुतीकरणों के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि वाद की प्रकृति ऐसी है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से मामले को सुलझाने की संभावना है तथा उस संभावना का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

तदनुसार, प्रकरण को मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, 2026:एएचसी:उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को निर्दिष्ट किया जा रहा है। आवेदक दो सप्ताह के भीतर मध्यस्थता केंद्र में रु. 30,000/- जमा करेगा। यदि राशि जमा की जाती है, तो मध्यस्थता केंद्र चार सप्ताह की अवधि के भीतर वापसी योग्य दोनों पक्षकारों को सूचनाएं जारी करेगा। इसमें से, रु. 27,000/- पत्नी के भरण-पोषण तथा न्यूनतम व्यय के संबंध में उसकी प्रथम उपस्थिति पर उसे सौंपे जाएंगे। रु. 3,000/- मध्यस्थता केंद्र में जमा रहेंगे।

मध्यस्थ को पक्षकारों के मध्य विवाद का संभावित समाधान ढूंढने तथा मध्यस्थता के परिणाम के संबंध में न्यायालय को अपनी आख्या भेजने हेतु तीन माह का समय दिया जाता है।

इस मामले को मध्यस्थ की आख्या सहित दिनांक 10.7.2026 को समुचित पीठ के समक्ष नए सिरे से प्रस्तुत किया जाए।

सूचीबद्ध की अगली तिथि तक, उक्त वाद की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशित राशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर या मध्यस्थता कार्यवाहियों में आवेदक द्वारा भाग न लिए जाने पर, अंतरिम स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

इस मामले को इस पीठ से संबद्ध या भागतः सुना गया नहीं समझा जाएगा।”



2. इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र ने अपनी दिनांक 18.06.2026 की आख्या प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार आवेदक ने मध्यस्थता केंद्र में रु. 30,000/- की राशि जमा नहीं की है, अतः पक्षकारों को सूचना जारी नहीं की जा सकी।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा गुण-दोष पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
4. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा आपराधिक वाद संख्या 6305/2021, मुकदमा अपराध संख्या 31/2020 से उद्भूत, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 67 के अंतर्गत (थाना-सिंधौरा, जिला-वाराणसी), की संपूर्ण कार्यवाहियों को, तथा दिनांक 24.2.2021 के संज्ञान/समन आदेश को, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है, खारिज करने हेतु दायर किया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है तथा वर्तमान अभियोजन उत्पीड़न पहुंचाने के प्रयोजन से असदभावपूर्ण आशय से संस्थित किया गया है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेज तथा कथन इंगित किए।
6. इस प्रक्रम पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क तथ्यात्मक विवाद के निर्णयन तथा साक्ष्य के अधिमूल्यन को अंतर्ग्रस्त करता है।
7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन तथा इस प्रक्रम पर वाद के तथ्यों पर विचार करने से यह नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रक्रम पर आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता है। बार में किए गए सभी प्रस्तुतीकरण, तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका निर्णयन इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। इस प्रक्रम पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रि.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रि.) 192 तथा अंततः जांडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सरफुल हक तथा अन्य (प्रस्तर-10) 2005 एससीसी (क्रि.) 283 के वादों में प्रतिपादित विधि के आलोक में देखा जाना है।
8. यह न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अपनी शक्ति के प्रयोग में अभिकथनों की सत्यता तथा साक्ष्य की विश्वसनीयता का आकलन करने हेतु आबद्ध नहीं है। अतः, खारिजी की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. वर्तमान आवेदन गुण दोष हीन है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।
10. तदनुसार, निरस्त किया जाता है।
11. पूर्व में प्रदत्त अंतरिम आदेश निरस्त माना जाए।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

21 अगस्त, 2026

मुस्तकीम/एस. मिश्रा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।